कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

मुद्रांक कर वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि में राज्य के कुल राजस्व का 9.96 प्रतिशत हिस्सा था। हालाँकि मुद्रांक कर प्राप्तियाँ वर्ष 2006-07 में ₹ 1293.68 करोड़ से बढकर वर्ष 2010-11 में ₹ 1941.07 करोड़ हो गयी थी। राजस्थान राज्य में अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण विलेख, विकास अनुबन्ध, बन्धक-पत्र, मुख्यतार-नामा आदि द्वारा अचल सम्पति के हस्तांतरण और लोक कार्यालयों से ऐसे लेन-देनों की जानकारी द्वारा जिनमें मुद्रांक कर प्रावधानों के अन्तर्गत करदेयता बनती है द्वारा मुद्रांक कर में वृद्वि की विपुल संभावनाऐं है।

हमने वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि के लिए 'मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की, कि क्या अधिनियम के प्रावधान/नियम और विभागीय निर्देश राज्य के राजस्व की सुरक्षा के लिए पर्याप्त और सही रूप से लागू किये गये थे। हमने यह भी सुनिश्चित किया कि क्या पंजीयन अधिकारियों द्वारा मुद्रांक कर के आरोपण एवं संग्रहण में अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन में निर्धारित नियमों एवं प्रकियाओं का पालन किया गया है।

हमनें यह विश्लेषण किया कि क्या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निष्पादित लेख्य पत्रों पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की वसूली और मुद्रांकों की प्राप्ति एवं लेखांकन के लिए प्रभावकारी एवं पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये गये है।

हमने वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिए सांख्यिकीय नमूना तकनीक और मानक नमूना प्रणाली द्वारा चयनित नमूना दस्तावेजों और वर्ष 2009-10 से 2010-11 के लिए अभिलेखों की नमूना जांच को अपनाया। हमारी अभिलेखों की नमूना जांच और नमूना दस्तावेजों की संवीक्षा में सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन, लेख्य पत्रों का गलत वर्गीकरण, दरों का गलत लागू करना आदि से मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के आरोपण में कुल राशि ₹ 9.04 करोड की अनियमिताऐं पायी गयी। इसके अतिरिक्त लोक अधिकारियों द्वारा मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की पर्याप्त वसूली में असफल रहने से राशि ₹ 20.74 करोड की राजस्व की अप्राप्ति हुई।

हमने पाया कि लोक कार्यालयों के प्रमुख अपने कर्त्तव्यों का निष्पादन सही रूप से यह जानने के लिए नहीं कर रहे थे कि क्या निष्पादित लेख्य पत्र जिन पर मुद्रांक कर प्रभार्य था, पर जनता द्वारा मुद्रांक कर का भुगतान सही रूप से कर दिया

गया था। हमने देखा कि गैर न्यायिक और चिपकाने वाले मुद्रांकों का अधिशेष भण्डार कोषालयों में अप्रयुक्त पड़ा था।

हमने पाया कि जिला पंजीयकों/ उप महानिरीक्षकों द्वारा उप पंजीयक कार्यालयों के निर्धारित निरीक्षण नहीं किये जा रहे थे।

हमने पाया कि आंतरिक लेखापरीक्षा समूह उप पंजीयक कार्यालयों की लेखापरीक्षा हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया तथा लेख्य पत्रों पर मुद्रांक कर की अवसूली/ कम वसूली का पता लगाने में अप्रभावी रहा।

निर्धारित करने पर भी विचार करें साथ ही मुद्रांक प्राधिकारियों द्वारा इन कार्यालयों के निरीक्षण पर भी विचार करे।

(अनु. सं. 4.1.1 से 4.4.3)

अधिनियम में कमियां

- सरकार राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की अनुसूची के आर्टीकल 18 में, शेयर लेख्य पत्रों के उद्देश्यों में अंकित मूल्य में प्रीमियम राशि, यदि कोई हो, जिस पर शेयर जारी किये गये हैं को सम्मिलित करने एवं स्पष्ट करने हेतु संशोधन करने पर विचार करे।

(अनु.सं. 5.1)

- सरकार इस बात पर भी विचार करें कि कोई भी एमनेस्टी स्कीम यदि जारी की जाए तो वह राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 30 व 75 के अनुरूप प्रासंगिक हो।

(अनु.सं. 5.5)

मुद्रांकों की प्राप्ति, विक्रय और लेखांकन

- सरकार भविष्य के लिए समस्त कोषालयों को उनकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में समय पर मांग भिजवाने की सख्त पालना हेतु विचार करें।

(अनु.सं. 6.1 से 6.2)

- सरकार कोषालयों में पड़े अप्रयुक्त नॉन ज्यूडीशियल/चिपकाने वाले मुद्रांकों के उपयोग के लिए तुरंत कदम उठाए।

(अनु.सं. 6.3.1 से 6.3.3)

- सरकार यह सुनिश्चित करें कि कोई भी इम्प्रेस्ड या चिपकनें वाले मुद्रांक जिस पर 'राजस्थान या राज' अंकित हुआ न हो, राजस्थान राज्य में उपयोग न लिया जावें।

(अनु.सं. 6.5)

आंतरिक लेखापरीक्षा

- सरकार द्वारा राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण में होने वाली त्रुटियों का समय पर पता लगाने एवं उन्हें सही करने, ध्यान में लायी गयी गलतियों की पुनरावृत्ति रोकने तथा बकाया अनुच्छेदों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के लिये आंतरिक लेखापरीक्षा को मजबूत किया जाना चाहिए।

(अनु.सं. 7.2)